न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ....तुसारी.... बनाम ....मालचन्द....

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 भू.रा.अधि. मुकदमा

प्रकरण संख्या :- 26/2018 निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ....तुसारी.... की आ.ख.न. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जमीन गैर.मु.0 में से 0.01 रकबे पर श्री 1.08 मालचन्द S/o मनफुल .... पर अनाधिकृत मरघट रूप से अतिक्रमण कर मकान/कुडा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ....तुसारी.... द्वारा दिनांक 12/6/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. .... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी मालचन्द S/o मनफुल जाति जाटव निवासी ....तुसारी.... को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 454 रकबा 1.08 में से 0-01 1.08 रकबे किस्म गैरमु0मरघट है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 63 paise का 50 गुणा 32/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मौका कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ....तुसारी.... भू.अ.निरी. .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज0
कठूमर, अलवर (राज.)

.... 16 .... 5....
.... 2018-19 .... 32/-

प्रतिलिपि :- ....

....